राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,

"कर–भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ–7(57)जन/2015/ 19195 – 19737 दिनांक : 1/12/16

1. **समस्त उप महानिरीक्षक,**
   पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक),
   राजस्थान।

2. **समस्त उप पंजीयक,**
   (पूर्णकालीन एवं पदेन),
   राजस्थान

विषय : मुद्रांक प्रकरणों में बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट की विशेष राहत योजना के संबंध में।

प्रसंग : राज्य अधिसूचना क्रमांक प.2(6)वित्त/कर/2014–64 दिनांक 30.11.2016

———

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक राज्य अधिसूचना क्रमांक प. 2(6)वित्त/कर/2014–64 दिनांक 30.11.2016 जारी कर कलेक्टर (मुद्रांक) के यहां लम्बित/निर्णित मुद्रांक प्रकरणों में, राजस्थान कर बोर्ड/उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में एवं ऐसे लम्बित मुद्रांक प्रकरण जिनमें निर्णय से पूर्व भी स्टाम्प ड्यूटी की बकाया सम्पूर्ण राशि जमा करवाई जा चुकी है, में देय ब्याज एवं शास्ति की विशेष राहत योजना दिनांक 01.12.16 से 28.02.17 की अवधि के लिये जारी की गई है।

अधिसूचना की प्रति पत्र के संलग्न कर निर्देश दिये जाते है कि निर्णय से लम्बित/निर्णित मुद्रांक प्रकरणों में अधिसूचना के प्रावधान अनुसार ब्याज एवं शास्ति की छूट प्रदान करते हुए बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि जमा करने का प्रयास करें। योजना का अपने स्तर पर स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भरपूर प्रचार–प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

भ व दी य,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ–7(57)जन/2015/ 19738 – 19740 दिनांक : 1/12/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर को निर्देशानुसार पृष्ठांकित कर निवेदन है कि गत वर्ष की भांति, उपरोक्त योजना की अवधि दिनांक 01.12.16 से 28.02.17 में जमा होने वाली बकाया राशि की सूचना वृत्त कार्यालयों से प्राप्त करने के लिये प्रारूप निर्धारित करकें प्रतिदिन सूचना प्राप्त करें एवं प्रगति से प्रतिदिन महानिरीक्षक महोदय एवं वित्त(कर) विभाग को अवगत करानें का श्रम करावें।

अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in

राजस्थान–सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांकः 30.11.2016

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि :–

1. कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में इस अधिसूचना की दिनांक तक दर्ज एवं विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में पक्षकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि जमा कराने पर उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में निम्नानुसार रियायत देय होगी :–
   (i) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.12.2016 से 31.01.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी।
   (ii) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.02.2017 से 28.02.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 75 प्रतिशत रियायत देय होगी।
2. कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा इस अधिसूचना की दिनांक तक निर्णीत मुद्रांक प्रकरणों में निर्णय के फलस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि जमा करवाई जाती है तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में निम्नानुसार रियायत देय होगी:–
   (i) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.12.2016 से 31.01.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी।
   (ii) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.02.2017 से 28.02.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 75 प्रतिशत रियायत देय होगी।
3. राजस्थान कर बोर्ड/उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में यदि पक्षकार द्वारा प्रकरण प्रत्याहरित (Withdraw) कर स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि जमा करवाई जाती है तथा प्रत्याहरित (Withdraw) करने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में निम्नानुसार रियायत देय होगी:–
   (i) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.12.2016 से 31.01.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी।
   (ii) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.02.2017 से 28.02.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 75 प्रतिशत रियायत देय होगी।

E:\Ramsan\B\Notification_Hindi_A1.docx 1/3

4. इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से पूर्व कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्णीत प्रकरणों में यदि पक्षकार द्वारा इस अधिसूचना की दिनांक से पूर्व स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय सम्पूर्ण राशि जमा कराई जा चुकी है एवं ब्याज एवं शास्ति की राशि की 20 प्रतिशत राशि दिनांक 01.12.2016 से 28.2.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो शेष 80 प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति की राशि की रियायत देय होगी।

5. राजस्थान कर बोर्ड/उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में विचाराधीन जिन प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय सम्पूर्ण राशि अधिसूचना की दिनांक से पूर्व जमा कराई जा चुकी है, उनमें पक्षकार द्वारा प्रकरण प्रत्याहरित (Withdraw) करने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तथा देय ब्याज एवं शास्ति की राशि की 20 प्रतिशत राशि दिनांक 01.12.2016 से 28.2.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो शेष 80 प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति की राशि की रियायत देय होगी।

6. राजस्थान कर बोर्ड में निगरानी दायर करने हेतु राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 के परन्तुक के तहत जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि को स्टाम्प डयूटी पेटे समायोजित किया जायेगा।

उक्त प्रकार के किसी भी प्रकरण में पूर्व में अदा किये जा चुके स्टाम्प शुल्क व अन्य राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं होगा।

(सं.प.2(6)वित्त/कर/2014–64)
राज्यपाल के आदेश से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव